



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय: बलदेव निवास कम्पाउण्ड,
आचार्य नरेंद्र देव रोड, सिविल लाइन,
अयोध्या - 224001, मो- 9151056377

सार्वजनिक बिक्री/
नीलामी सूचना
(अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक बिक्री / नीलामी सूचना

जबकि, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) संपादित नियम 8(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी / बंधककर्ता / जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है वही है, जो कुछ भी है" को आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी।

जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रौ) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) / विधिक वारिस को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को दिनांक 26.11.2025 को या उससे पहले, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पढ़ करके अपनी नीलाम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली दिनांक 27.11.2025 को समय सायं 04:00 बजे खोली जाएगी। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति अस्तित्वों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सूर्य में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता/ बंधककर्ता/विधिक वारिस का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिप्राण तिथि/ अधिवह्य प्रकार	बकाया धनराशि (रु0)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि
----------	--	--------------------------------	--	--------------------	---------------------------

शाखा: अमानीगंज					
1.	ऋणी: श्री लाल जी गुप्ता पुत्र श्री भगोती प्रसाद गुप्ता, ग्राम— मोहम्मदपुर पोस्ट—अमानीगंज जिला— अयोध्या 224121 जमानतकर्ता: 1. लल्लू, गुप्ता पुत्र गुलश्री, ग्राम—अमानीगंज पोस्ट—अमानीगंज जिला—अयोध्या 224121	बंधक संपत्ति, प्लॉट संख्या 26मि., विक्रय विलेख संख्या 1366, दिनांक 06.08.1999, क्षेत्रफल—1050.00 वर्ग फीट, स्थित ग्राम—झूडी, पोस्ट— अमानीगंज, परगना—खंडासा, तहसील— मिल्लीपुर, जिला— अयोध्या, भूस्वामी: श्री लाल जी गुप्ता पुत्र श्री भगोती प्रसाद गुप्ता, चौहदरी: (विलेख के अनुसार): पूर्व: बाग सुशेन चंद्र, पश्चिम: बृज मोहन गुप्ता का मकान, उत्तर: बाग मुकीर, दक्षिण: मिल्लीपुर से अमानीगंज मार्ग	15.11.2021 27.04.2022 सांकेतिक कब्जा	रु. 1,05,184.00 + दिनांक 15.11.2021 से अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य खर्च	5,20,200.00 52,020.00

शाखा: अयोध्या					
2.	ऋणी: 1. मेरस रंजित उपाध्याय इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, प्रोप. श्री कौशल किशोर उपाध्याय 2. श्री कौशल किशोर उपाध्याय पुत्र श्री दुखी राम उपाध्याय, निवासी 6/13/61 बारा रमना जमुनिया बाग अयोध्या 224001 जमानतकर्ता: 1. श्री राजेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री उमा दत्त मिश्रा, निवासी 734 अवधपुरी कोलीनी, अमानीगंज, अयोध्या 224001 2. श्रीमती रेखा उपाध्याय पत्नी श्री कौशल किशोर उपाध्याय, निवासी 6/13/61 बारा रमना जमुनिया बाग अयोध्या, 224001 3. श्री अमरीश कुमार श्रीवास्तव पुत्र सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, 9/5/86/2 पल्लवी, अयोध्या 224001	बंधक संपत्ति, प्लॉट संख्या 222, चक संख्या: 8, विक्रय विलेख संख्या: 3150/15, बही संख्या: 1, जिल्द संख्या: 5954, पृष्ठ संख्या: 387-430, दिनांक 23.04.2015, क्षेत्रफल— 149.70 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम— मकान संख्या 6/13/57 नया, 6/13/48 पुराना, मोहल्ला: रमना फैजाबाद पोस्ट—परगना, हवेली अवध, तहसील—सदर, जिला— अयोध्या, भूस्वामी: श्रीमती रेखा पत्नी श्री कौशल किशोर उपाध्याय, चौहदरी: (विलेख के अनुसार): पूर्व: नाली, पश्चिम: रास्ता खंडजा 16' चौड़ा, उत्तर: मुन्नी लाल एवं रमेश चंद्र शर्मा का मकान, दक्षिण: सुरेंद्र प्रसाद महेंद्र का मकान एवं हाता	18.03.2024 18.06.2024 सांकेतिक कब्जा	रु. 10,29,789.00 + दिनांक 29.02.2024 से अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य खर्च	43,34,958.00 4,33,495.80

शाखा: शिवनाथपुर					
3.	ऋणी: मेरस रंजीतराम मशीनी स्टोर, प्रोप. श्री सीता राम जमानतकर्ता: 1. जोखू प्रसाद पुत्र छोटे, ग्राम व पोस्ट जोरियम तहसील मिल्लीपुर जिला अयोध्या पिन कोड 224229 2. राम किशोर पुत्र राम कलाप, ग्राम व पोस्ट कुमारगंज जिला अयोध्या पिन कोड 224229	बंधक संपत्ति, प्लॉट संख्या 1170, विक्रय विलेख संख्या 1800/2000, दिनांक 14.11.2000, क्षेत्रफल— 245.90 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम— बवां, पोस्ट— बवां, परगना— खंडासा, तहसील— मिल्लीपुर, जिला— अयोध्या, भूस्वामी: सीता राम, चौहदरी: (विलेख के अनुसार): पूर्व: रोड फैजाबाद से सियाबरेली, पश्चिम: श्रीमती कलावती का खेत, उत्तर: शोभित राम मिश्रा का मकान, दक्षिण: दूध नाथ का मकान	10.10.2024 07.01.2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 8,35,899.02 + दिनांक 31.08.2024 से अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य खर्च	43,43,400.00 4,34,340.00

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति और फोटो के साथ में अपनी बोली जमा करनी होगी। (लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में अयोध्या में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वाधिक बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को नगद के रूप में उसी दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वाधिक बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रमारों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहाँ जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकायों का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। अतः कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत अस्तित्वों को निगट करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रमारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराह्न 2:00 बजे से साय 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिन पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / संसंधाकरण के लिए सामान्य रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि <https://upgbank.com/sarfaesinotice.php> देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 15 दिनों की बिक्री सूचना
कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकायों का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित ब्याज, प्रमारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 02.11.2025 स्थान: अयोध्या प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक